राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित भवन" जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल **jdpl-ta-rj@nic.in**)

क्रमांकः– एफ.4(ई)/अलेसे–III/(ओ–129/2008)/612 दिनांकः– 29/07/2021

कार्यालय आदेश

श्री ओम प्रकाश कुम्हार, कनि. लेखाकार (लिंक नं. 9277), कार्यालय उपकोष धरियावाद जिला प्रतापगढ़ को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़ द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने पर विभागीय आदेश दिनांक 25.04.2017 द्वारा दिनांक 13.04.2017 से निलम्बित किया गया। कार्मिक (क–3) विभाग के परिपत्र दिनांक 07.07.2010 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा दिनांक 12.01.2011 के क्रम में गठित निलम्बन से बहाली हेतु आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 27.07.2020 में वित्त सचिव (राजस्व) द्वारा श्री ओम प्रकाश कुम्हार को निलंबन से बहाल किये जाने का निर्णय लिये जाने पर विभागीय आदेश दिनांक 14.08.2020 द्वारा श्री ओम प्रकाश कुम्हार, कनि. लेखाकार को निलंबन से बहाल किया गया निलंबन काल का निर्णय न्यायिक निर्णय के अधीन रखते हुए निलम्बन से बहाल किया गया।

श्री ओम प्रकाश कुम्हार ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2625/2021 दायर की। माननीय न्यायालय ने दिनांक 15.02.2021 को निर्णय पारित किया।

Learned counsel for the petitioner further submits that at this stage, the petitioner will be satisfied if the State respondents are directed to decide the representation of the petitioner, within a time frame, which they are ready and willing to address within a period of two weeks.

In view of the limited prayer addressed; the instant writ proceedings are closed with a direction to the petitioner to address comprehensive representation within two weeks hereinafter, enclosing a copy of the judgement, which has been referred to and relied upon in support of his claim.

In case, a representation is so addressed within the aforesaid period, the State-respondents are directed to consider and decide the same by a reasoned and speaking order in accordance with law as expeditiously as possible, however, in no case later than three months from the date of receipt of the representation along with a certified copy of this order.

Upon consideration of the representation so filed, if respondents find the case of the petitioner to be covered by the judgments (s) aforesaid, before giving actual benefits, an undertaking shall be procured from the petitioner to the effect that his rights/entitlements shall be subservient to the fate of the judgment (s) aforesaid and in case the same is reversed or modified in any manner, he shall also be liable for restitution of any benefits/emoluments so received.

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के क्रम में श्री कुम्हार ने दिनांक 04.03.2021 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। श्री कुम्हार के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 15.02.2021 एवं राजस्थान सिविल सेवा नियम 1951 के नियमों के अंतर्गत परीक्षण किया गया। निलंबन काल में श्री कुम्हार को केवल निर्वाह भत्ता दिया गया था तथा उक्त अवधि को सेवा काल नही माना गया है। श्री कुम्हार के बहाली आदेश में भी यह स्पष्ट अंकित किया गया था कि श्री कुम्हार के विरूद्ध एसीबी का प्रकरण विचाराधीन होने के कारण निलंबन काल का निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन रहेगा। जब तक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में दर्ज प्रकरण का संबंधित भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय द्वारा निर्णय नही किया जाता तब तक निलंबन काल का निर्णय नही किया जा सकता। राजस्थान सिविल सेवा नियम 1951 के नियमों के अंतर्गत निलंबन काल में केवल निर्वाह भत्ता दिया जाता है। वित्त विभाग द्वारा भी उक्तानुसार मार्गदर्शन दिया गया है। निलंबन काल का निर्णय नही होने तक नियमानुसार श्री कुम्हार को उक्त अवधि के कोई आर्थिक परिलाभ एवं वेतन वृद्धियां स्वीकृत नही की जा सकती है। तदनुसार श्री कुम्हार के अभ्यावेदन का निस्तारण एतद्द्वारा किया जाता है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.4(ई)/अलेसे–III/(ओ–129/2008)/612 दिनांकः– 29/07/2021

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक–प्रथम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़।
4. कोषाधिकारी, जयपुर (शहर)/अलवर/प्रतापगढ़।
5. उपकोषाधिकारी, धरियावाद (प्रतापगढ़)।
6. उप निदेशक (जांच)/उपविधी परामर्शी, कार्यालय हाजा।
7. निजी सचिव निदेशक महोदय।
8. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. ओम प्रकाश कुम्हार, कनि. लेखाकार (लिंक नं. 9277), कार्यालय कोषालय, अलवर।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)